173

पत्रांक–2P/IT/DSC REGISTRATION-12-04/2020 / 7061 / पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 26/7/2022

विषयः– **eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI) प्रणाली के माध्यम से पंचायत समिति स्तर पर पन्द्रहवीं वित्त आयोग की राशि का लेन–देन करने हेतु Maker के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को प्राधिकृत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के पत्रांक–5633 दिनांक 23.09.2021 के कंडिका 02 के द्वारा पंचायत समिति स्तर हेतु eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI) प्रणाली के माध्यम से पन्द्रहवीं वित्त आयोग की राशि का लेन–देन करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को Maker के रूप में प्राधिकृत किया गया था। साथ ही विभागीय पत्रांक–5050 दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखंड में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के दायित्व के निर्वहन का निदेश संसूचित है।

2. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI) प्रणाली के माध्यम से पन्द्रहवीं वित्त आयोग की राशि का लेन–देन करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को Maker के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। eGramSwaraj Portal पर ग्राम पंचायत स्तर हेतु निर्मित DSC (Maker & Checker) को Approve करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति प्राधिकृत होंगें।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन
26/7/22
(डॉ0 रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक: 2P/IT/DSC REGISTRATION-12-04/2020 / 7061 / पं0रा0 पटना, दिनांक 26/7/2022

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/22
(डॉ0 रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक